

पत्रांक... 143

कार्यालय झारखण्ड अग्निशमन सेवा मुख्यालय, राँची।

प्रेषक,

प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

नगर निवेशक,
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
राँची।

दिनांक... 8-5-08

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1284 दिनांक 25.04.08


विषय:- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम बिहारी सिंह, डाइरेक्टर, देविका कंस्ट्रक्शन द्वारा मौजा मोराबादी, थाना सं० 192 आर०एस० प्लॉट सं० 1602, 1603, 1604 एवं 1627 राँची में बहुमंजिली भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले बहुमंजिली भवन में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

- 1 प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
 - 2 भवन के सामने कम से कम 1,50,000 ली० क्षमता का एक अदद अण्डर ग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण निर्दिष्ट स्थानों पर कराया जाय।
 - 3 भवन के उपर 20,000 ली० क्षमता का एक अदद Over head water tank का निर्माण कराया जाय।
 - 4 2850 ली०/मि० क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
 - 5 समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प की व्यवस्था रखी जाय।
 - 6 भवन में कम से कम एक फायर लिफ्ट लगाने की व्यवस्था की जाय जिसकी क्षमता 540 के०जी० से कम न हों।
 - 7 भवन के उपर एक अदद टेरेस पम्प लगाया जाय जिसकी क्षमता 900 लि०/मि० से कम न हो।
 - 8 भवन में एक जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
 - 9 वेसमेन्ट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाय।
 - 10 वेसमेन्ट में Transfermer, Boiler, Positively Pressurised cyclender/ Generator/ A.C.plant न रखे जाय।
 - 11 भवन के वेसमेन्ट वाले भाग में समुचित भेन्टीलेशन की व्यवस्था रखी जाय ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सके एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सके।
 - 12 प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में यदि बाद में Compartmentation किया जाता है तो इस कार्यालय से सुझाव अवश्य ले ली जाय।
 - 13 भवन के सामने कम से कम 12 मी० चौड़ी ठोस एवं समतल जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।
 - 14 भवन में तड़ित चालक की समुचित व्यवस्था की जाय।
 - 15 किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय।
 - 16 फायर इस्केप रूट वाली सीढ़ियों को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
 - 17 भवन में निवास करने से पूर्व उपर्युक्त सुरक्षा व्यवस्था की जांच इस कार्यालय से अवश्य करा ली जाय।
 - 18 प्लान की प्रतियां सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।
- अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन


प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।